कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया ने 01, थाना मोतीगंज ने 02 व थाना धानेपुर ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामदत्त पुत्र चिगनू नि0 खालेपुरवा मौजा कोचा कासिमपुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–197/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मोनू पुत्र दर्शन नि0 ग्राम छोटकईपुरवा मौजा जगतापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–167/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुनीता देवी पत्नी राम प्रकाश नि0ग्राम परशुरामपुर मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–101/22, 02. मीना देवी पत्नी दीनानाथ नि0ग्राम परशुरामपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–102/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सावित्री पत्नी मोहन सोनकर नि0 ग्राम पूरे ललहा पोस्ट सुल्तानजोत थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–200/22, 02. आनन्द सोनकर उर्फ पिंकू पुत्र संचितराम नि0 ग्राम काजी तरहर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–201/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. भोरई पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम गैलेनग्रन्ट जमुनहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–173/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, गोण्डा
दिनांक 29.05.2022

धनौली टावर के पास मिले शव की घटना का खुलासा, दोस्त ही निकले दोस्त के हत्यारे, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बांस की थूनी बरामदः–

दिनांक 28.05.2022 को थाना को0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत धनौली टावर के पास बाग में एक लड़के (श्यामलाल) का शव प्राप्त हुआ था जो पेंटिंग मजदूरी का कार्य करता था। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में बनाम 03 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ हुई थी।

घटना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना का सही अनावरण कर घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में टीमे लगायी गयी थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त–01. नन्के, 02. राहुल, 03. बाबे दोषी पाये गए थे जिनको आज दिनांक 29.05.2022 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आलाकत्ल बांस की थूनी बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक श्यामलाल दिनांक 27.05.2022 की रात्रि गांव की ही एक शादी में गया था वही पर मृतक श्यामलाल की अपने उक्त तीनों साथी अभिुक्तगणों से आपस में कहां सुनी हुई थी। इसी बात के चलते उक्त तीनों अभियुक्तगणों द्वारा गांव के ही सुनशान रास्ते पर बांस की थूनी से मृतक श्यामलाल के सिर पर वार कर जान से मार दिया था तथा शव को गांव के बाहर स्थित बाग में छिपा दिया था। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. ननके उर्फ ननकऊ उर्फ हरिशंकर पुत्र स्व0 किशोरी लाल नि0 ग्राम धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. राहुल कुमार पुत्र रोहित कुमार नि0 ग्राम धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. बाबे उर्फ रवीश कुमार पुत्र स्व0 छट्ठीराम नि0 ग्राम धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–359/22, धारा 302,201 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

01. बांस की थूनी।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

प्र0नि0 को0 नगर पंकज कुमार सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.05.2022

“ऑपरेशन गैंगेस्टर” के तहत गैंगेस्टर ऐक्ट का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारः—

माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा पूरे प्रदेश में गैंगेस्टर/एच0एस0/गुण्डा के विरूद्ध 100 दिवसीय चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना करनैलगंज पुलिस को गैंगेस्टर ऐक्ट के 01 वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त छोटू कुमार उर्फ सुदर्श कुमार को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। **उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0—46/22, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना परसपुर में वांछित चल रहा था।** अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. छोटू कुमार उर्फ सुदर्श कुमार पुत्र सुखलाल नि0 नैय्यर कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0—198/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

प्र0नि0 करनैलगंज सुधीर कुमार सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.05.2022

दहेज हत्या के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना को0 देहात पुलिस ने दहेज हत्या के 03 वांछित अभियुक्तों–01. दिलीप पाण्डेय, 02. दद्दन पाण्डेय, 03. निबरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 27.05.2022 को वादी महराज दीन शुक्ल पुत्र स्व0 राम अभिलाख नि0 बन्दे अली पुरवा मौजा फिरोजपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणी–

01. दिलीप पाण्डेय पुत्र दद्दन पाण्डेय नि0 ठोरहंस डिहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. दद्दन पाण्डेय उर्फ रामपाल पाण्डेय पुत्र अवध बिहारी नि0 ठोरहंस डिहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. निबरा पत्नी दद्दन पाण्डेय नि0 ठोरहंस डिहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–199/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.05.2022

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सद्दाम हुसैन पुत्र मो0 अली नि0 ग्राम अलाउद्दीन सिकौथा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–69/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–

01. हे0का0 रामप्रवेश यादव।
02. का0 स्वामीनाथ ।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. घपोले उर्फ माता प्रसाद पुत्र नाथे नि0 ग्रा0 धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–95/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बाबू उर्फ मिठ्ठू लाल पुत्र बिन्दू लाल नि0 ग्राम हसुआडोल थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–98/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. इन्द्रजीत पुत्र हीरालाल नि0 ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–204/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बरसाती पुत्र बसाऊ नि0 ग्राम पचपेड़वा बनधुसरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–139/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. वासुदेव पुत्र साहब बक्श नि0 ग्राम भुलभुलिया हाता थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–202/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।